

# राजस्थान विधान सभा सचिवालय

:अधिसूचना:

संख्या: एफ11(6)/संस्था/विस/2005-2016/

जयपुर, दिनांक 06 अप्रैल, 2016

## सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा -- 4-1(बी) के तहत मैन्युअल

### बिन्दु संख्या 1 -- संगठन की विशिष्टतायें, कृत्य एवं कर्तव्य

राजस्थान को पहले राजपूताना के नाम से जाना जाता था जिसमें 22 छोटी-बड़ी रियासतें थीं। यद्यपि 15 अगस्त, 1947 को ही समस्त रियासतें भारतीय संघ से सम्बन्धित घोषित हो चुकी थीं किन्तु भारत में समस्त रियासतों के विलय और इनके एकीकरण की प्रक्रिया पाँच चरणों में वर्ष 1949 के माह अप्रैल तक पूरी हुई।

विलय के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मिलाकर किया गया और इसका उद्घाटन 17 मार्च, 1948 को हुआ। राजस्थान संघ, जिसमें बांसवाड़ा, बूँदी, झूँगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक एवं कोटा सम्मिलित थे, का उद्घाटन 25 मार्च, 1948 को हुआ किन्तु इसके उद्घाटन के मात्र तीन दिन बाद ही उदयपुर के महाराणा ने इस संघ में सम्मिलित होने का निर्णय लिया जिसे भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इस संघ का उद्घाटन पं. जवाहर लाल नेहरू ने 18 अप्रैल, 1948 को किया। राजस्थान संघ की स्थापना के साथ ही बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर और जोधपुर जैसी बड़ी रियासतों के संघ में विलय और बृहत्तर राजस्थान के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया था। 30 मार्च, 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका विधिवत उद्घाटन किया। मत्स्य संघ का बृहत्तर राजस्थान में 15 मई, 1949 को विलय किया गया।

राजस्थान निर्माण के अंतिम चरण में ही विधान मंडल की स्थापना की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई थी। यह प्रक्रिया वर्ष 1952 के प्रारम्भ तक चलती रही। जनवरी, 1950 में सिरोही राज्य का विभाजन करने और आबू तथा देलवाड़ा तहसीलों को बंबई प्रांत और शेष भाग को राजस्थान में मिलाने का निर्णय लिया गया जिसकी क्रियान्विति 7 फरवरी, 1950 को हुई। 1 नवम्बर, 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर तत्कालीन अजमेर-मेरवाड़ा राज्य राजस्थान में विलीन कर दिया गया। साथ ही मध्य भारत के मंदसौर ज़िले की भानपुरा तहसील का सुनेल-टप्पा ग्राम तथा आबू और देलवाड़ा को पुनः राजस्थान में शामिल किया गया तथा झालावाड़ ज़िले का सिरोंज उप जिला नये मध्य भारत को स्थानांतरित कर दिया गया।

इस प्रकार वर्तमान राजस्थान के निर्माण की प्रक्रिया समाप्त हुई और 19 देशी रियासतों और तीन चीफशिप वाले क्षेत्रों की जनता एकतंत्र से मुक्त होकर लोकतंत्र की मुख्य धारा में सम्मिलित हुई।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 168 (1)(ख) एवं (2) के अनुसार राजस्थान विधान मंडल राज्यपाल एवं विधान सभा से मिलकर बना है। अनुच्छेद 172 के अंतर्गत राजस्थान विधान सभा का सामान्य कार्यकाल प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तिथि से पाँच वर्ष होता है। आम चुनावों के बाद राजस्थान में पहली विधान सभा का गठन 23 फरवरी, 1952 को हुआ और पहली बैठक 29 मार्च, 1952 को हुई। वर्ष 1952 में विधान सभा के सदस्यों की संख्या 160 थी। नवम्बर, 1956 में अजमेर विधान सभा के राजस्थान विधान सभा में सम्मिलित होने पर यह संख्या 190 हो गई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर विधान सभा की सदस्य संख्या वर्ष 1957 में 176, वर्ष 1967 में 184 तथा वर्ष 1977 में 200 हो गई। वर्तमान में भी विधान सभा के सदस्यों की संख्या 200 ही है।

चौदहवीं राजस्थान विधान सभा का गठन 11 दिसम्बर, 2013 को हुआ है। इस विधान सभा में कुल 200 सदस्य हैं जिसमें से 34 सीटें अनुसूचित जाति हेतु तथा 25 सीटें अनुसूचित जन जाति हेतु सुरक्षित हैं। वर्ष 2013 में गठित चौदहवीं राजस्थान विधान सभा में 28 महिला सदस्य निर्वाचित हुईं जिसमें से एक सदस्य सांसद निर्वाचित होने के कारण वर्तमान में 27 महिला सदस्य हैं।

